16

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग - 1476 - 15/03/16
संकल्प

विषय :- **राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में चरणवार नियमित रूप से Stake Holders की बैठक सुनिश्चित करने के संबंध में।**

विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा है कि कतिपय परामर्शियों के द्वारा संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के Stake Holders को विश्वास में लिए बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जमीनी वास्तविकता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के नजरअन्दाज होने की संभावनाए प्रबल रहती हैं।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर प्रत्येक परामर्शी के द्वारा प्रत्येक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में चरणवार नियमित रूप से Stake Holders के साथ बैठक आयोजित की जाए, जिसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण निश्चित रूप से कराया जाए।

3. प्रसंगाधीन Stake Holders की बैठक में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित सांसद/विधायक/जिला के उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/नगर निकाय पर्षद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्य/संबंधित कार्य विभागों के जिला स्तरीय अभियंता एवं अन्य सभी संबंधित Stake Holders आमंत्रित करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त प्रसंगाधीन बैठक में जुडको लि० के संबंधित पदाधिकारी भी भाग लेगें।

4. प्रत्येक परियोजना हेतु निम्न वर्णित चरणों (Stages) पर Stake Holders की बैठकें आयोजित करना अनिवार्य होगा :-

क्र0	चरण	विवरणी
1	प्रथम	प्रसंगाधीन योजना की स्थानीय आवश्यकता/स्थानीय अपेक्षाओं/स्थानीय संसाधनों एवं सीमितताओं का आकलन, इत्यादि करने हेतु आरंभिक बैठक (Kick off Meeting)।
2	द्वितीय	संभाव्यता प्रतिवेदन प्रारूप तैयार करने के उपरान्त।
3	तृतीय	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के उपरान्त।
4	चतुर्थ	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अंतिमीकरण के उपरान्त।

5. उपर्युक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक शहरी निकाय में माह के यथाचयनित शनिवार को अनिवार्य रूप से प्रसंगाधीन बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उक्त शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित परामर्शियों के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रस्तुतिकरण किए जाऐंगे।

6. संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों/कार्यपालक पदाधिकारियों/विशेष पदाधिकारियों के द्वारा प्रसंगाधीन बैठक की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बैठक की कार्यवाही तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/जुडको लि0 में बैठक आयोजित होने के (3)

तीन दिनों के भीतर समर्पित की जाएगी, जिसमें दिए गए सुझावों का स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त एवं सारगर्भित वर्णन रहेगा।

7. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा तथा इस संकल्प का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

15-3-16

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0/न0वि0(यो0 विविध)–01/2016 1476 **राँची, दिनांक**–15/03/16

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

15-3-16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0/न0वि0(यो0 विविध)–01/2016 1476 **राँची, दिनांक**–15/03/16

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

15-3-16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0/न0वि0(यो0 विविध)–01/2016 1476 **राँची, दिनांक**–15/03/16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी नगर आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15-3-16

सरकार के प्रधान सचिव।